



5

109

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

क0 निगरानी - ^{PBR} ~~अपील~~ / निग0 / रायसेन / भू-रा / 2017 / 4164

श्री राजीव सिंह
आज दि. 3/11/17 को

सुरेन्द्र सिंह पुत्र ^{एन} कमल सिंह
निवासी ग्राम मेढकी, तहसील व जिला
रायसेन, मध्यप्रदेश

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
6/15-11-17

----- आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती वतीबाई उर्फ कलावतीबाई
पत्नी श्री दौलत सिंह पुत्री श्री सीताराम
निवासी ग्राम खेजड़ा तहसील व जिला
विदिशा, मध्यप्रदेश

----- अनावेदिका

R.V.S.
3/11/2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश दिनांक
27.09.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील
रायसेन के प्र0क0 89/अपील/2012-13 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

श्रीमान् महोदय,

निगरानी आवेदन-पत्र अंदर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, अनावेदिका काशीबाई की पुत्री है और आवेदक काशीबाई का नाती है
और अनावेदिका की ग्राम मेढकी स्थित भूमि खसरा नम्बर 67/1 एवं 67/2 खसरे
में प्रविष्ट है, परंतु अक्श में बंटान नहीं है। मंदिर की भूमि एवं अनावेदिका की भूमि

[Handwritten signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक	स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
PBR/पिण्ड/रायसेन/अ.सं./2018/4164	16-2-2018	<p>आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण क्रमांक PBR/पुर्नस्थापन/रायसेन/भू.रा./2018/1083 में पारित आदेश दिनांक 16-2-2018 के परिप्रेक्ष्य में यह प्रकरण पुनः सुनवाई में लिया गया । आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस करने का अनुरोध किया गया । अतः आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण उन्हें वापिस किया जाता है।</p>	